

नम
अहका
की ता

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामीर मे जारी हुए

क्रिया गया बाद मनन एवं अवलोकन
यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि
जर्मी का जार्जना - पत्र स्वीकार करने
योग्य है।

अतः जर्मी का जार्जना पत्र
अंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।
इस फैसला पृथक से लिखा जाकर
सबली फैसल से जाकर नम्बर
से कम करते हुये दाखिल दफ्तर
की जाती है।

UB
उप जिला कलेक्टर
चौथ का वरवाड़ा

